न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 04/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– पिपराली रोड़, रेलवे ब्रिज के पास, समर्थपुरा, सीकर–332027
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राजेन्द्र एन्टरप्राइजेज, प्रो. राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजेन्द्र सिंह, ग्राम कटराथल, जिला– सीकर
अप्रार्थी/ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक: 22 जनवरी, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी **राजेन्द्र एन्टरप्राइजेज, प्रो. राजेन्द्र कुमार** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **Equitable Mortgage of House Property Located at Ward No. 10, Village katrathal, Dist. Sikar. Belonging to Rajendra Kumar s/o Brijendra Singh Bounded by North Kishor Singh and Common Road, South Road, East House of Brijendra Singh, West House of Kajor Singh Jai Kishan.** को बंधक रखकर **13,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **तेरह लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.10.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.10.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी **राजेन्द्र एन्टरप्राइजेज, प्रो. राजेन्द्र कुमार** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Equitable Mortgage of House Property Located at Ward No. 10, Village katrathal, Dist. Sikar. Belonging to Rajendra Kumar s/o Brijendra Singh Bounded by North Kishor Singh and Common Road, South Road, East House of Brijendra Singh, West House of Kajor Singh Jai Kishan.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय हे, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 22 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official